मुद्दों पर बहस हो

चुनावी मैदान में संघर्षरत विभिन्न दल और उम्मीदवार अपने वादों और दावों के साथ मतदाताओं का दरवाजा खटखटाना शुरू कर चुके हैं. आगामी दिनों में करीब 90 करोड़ भारतीय अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हमारा देश न सिर्फ आबादी और आकार के लिहाज से एक बड़ा देश है, बल्कि वह सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है. हमारे सामने गंभीर समस्याओं की भरमार भी है. ऐसे में चुनाव प्रचार सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की कवायद नहीं है. इस प्रक्रिया में सरकार में शामिल और समर्थन कर रहे दल जहां अपनी उपलब्धियों का हिसाब देते हैं, वहीं विपक्षी खेमा उनकी खामियों का ब्यौरा जनता के सामने रखता है. इस दौरान दोनों पक्ष भविष्य की योजनाओं की रूप-रेखा भी प्रस्तुत करते हैं. परंतु, चुनाव अभियान में मुद्दों पर गंभीर चर्चा की कमी है. विभिन्न मसलों पर सामान्य बयानबाजी कर पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में ऊर्जा खर्च कर रही हैं. प्रतिष्ठित संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सर्वे के मुताबिक, रोजगार के अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, अच्छी सड़कें और सार्वजनिक यातायात के साधन लोगों के लिए प्रमुख मुद्दे हैं. खेती-किसानी से जुड़े मसले भी मतदाताओं के लिए अहम हैं. प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में बताया गया है कि लोग बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान चाहते हैं और कारोबार को बढ़ाने की जरूरत महसूस करते हैं. सुरक्षा को लेकर भी लोगों में चिंता है. इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है. तमाम खामियों के बावजूद हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार मजबूत होती रही हैं तथा पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकारों के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. चुनाव को अनाप-शनाप बयानों या हरकतों से विवादित या मजाक बना देना बेहद नुकसानदेह हो सकता है. पार्टियों का वैचारिक तनाव मुद्दों को चिन्हित करने, उन्हें विश्लेषित करने तथा उनका समाधान निकालने की दिशा में निर्देशित होना चाहिए. अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का फायदा जन-जन तक पहुंचे और दूर-दराज के इलाकों में भी विकास हो सके, दलों की जोर-आजमाइश का ध्यान इस पर होना चाहिए. अभद्र टिप्पणियों और भेद-भाव बढ़ानेवाले बयानों से परहेज किया जाना चाहिए. पार्टियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें बार-बार जनता की अदालत में पेश होना है. उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मतदाताओं का बड़ा हिस्सा युवा है और देश के भविष्य के साथ उनका भविष्य जुड़ा हुआ है. चुनाव मुद्दों पर हों और इनमें शुचिता बनी रहे, इसकी निगरानी का जिम्मा सिर्फ चुनाव आयोग और प्रशासन का नहीं है. नागरिकों और मीडिया को भी सचेत रहना चाहिए तथा गलतियों और गड़बड़ियों पर नेताओं को आगाह करना चाहिए. सभी के सकारात्मक योगदान से ही लोकतंत्र का यह महापर्व सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेगा.

चुनाव मुद्दों पर हों और इनमें शुचिता बनी रहे, इसकी निगरानी का जिम्मा सिर्फ चुनाव आयोग और प्रशासन का नहीं है, नागरिकों और मीडिया को भी सचेत रहना चाहिए ...

जरूरी है राजकोषीय मितव्ययिता

अजीत रानाडे
सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन
editor@thebillionpress.org

भारत में प्रत्येक 100 मतदाता पर केवल सात मतदाता ही प्रत्यक्ष करदाता हैं . इसलिए सभी राजकोषीय उदारताओं का भार अंतत : इन सात लोगों को ही वहन करना पड़ता है .

विश्व के सबसे बड़े आम चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. लगभग 90 करोड़ मतदाता तकरीबन 10 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान कर लगभग 10 हजार उम्मीदवारों के बीच से संसद के निचले सदन के लिए 545 सदस्यों को चुनेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में 11 सप्ताह का समय लगेगा, जिस दौरान लगभग छह सौ सियासी पार्टियों एवं चुनाव में खड़े उम्मीदवारों पर आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी.

यह दायित्व निर्वाचन आयोग का है कि वह इन राष्ट्रीय चुनावों का संचालन ऐसे करे कि बगैर किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न हो सके. निर्वाचन आयोग को जिस सर्वाधिक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, वह धन, बल एवं मीडिया (सोशल मीडिया समेत) का प्रभाव है. इन चुनावों को लंबी अवधि तक खींचने की एक प्रमुख वजह सुरक्षा तथा हिंसक व्यवधानों से संबद्ध चिंताएं ही हैं. ऐसी संभावनाओं से निबटने हेतु सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगहों पर स्थानांतरित करते रहना होगा, क्योंकि वे इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं कि पूरे देश में एक ही दिन चुनाव संपन्न कराये जा सकें.

इन चुनावों के संचालन में एक विशाल धनराशि व्यय होगी. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में सरकार को 3426 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे, जो उसके पूर्ववर्ती चुनाव व्यय से 131 प्रतिशत ज्यादा था. इस हिसाब से इस बार इस व्यय के सात हजार करोड़ रुपये या लगभग एक अरब डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है. पर पूरे व्यय की मात्रा यही नहीं रहेगी. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि यह खर्च लगभग 50 हजार करोड़ रुपये या सात अरब डॉलर से भी ऊपर चला जायेगा, जो इन चुनावों को विश्व के सबसे महंगे, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों से भी अधिक खर्चीले चुनावों में बदल देगा. एक ऐसे देश के लिए जो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व में 139वें पायदान पर है, यह एक अत्यंत महंगी प्रक्रिया है. यह लागत जीडीपी की 0.3 प्रतिशत है, जो मनरेगा पर होनेवाले व्यय से भी अधिक है.

यह एक और बात है कि यह अनुमान भी कम ही है, क्योंकि यह केवल प्रत्यक्ष व्ययों, मतदाताओं को लुभाने के लिए अथवा मीडिया मुहिमों, रैलियों तथा यात्राओं पर किये गये खर्चों पर ही आधारित है, जबकि इसमें इन चुनावों के पूर्व मतदाताओं के लिए घोषित मुफ्त फायदों की लागतें शामिल नहीं हैं. इन मुफ्त उपहारों के संबंध हमेशा चुनावों से ही नहीं जोड़े जा सकते, मगर वे अनिवार्यतः उसी उद्देश्य के लिए होते हैं. उदाहरण के लिए, पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में की गयी कुल ऋणमाफी की लागत 2 लाख करोड़ बैठती है. इन राज्यों में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टियां भी सत्तासीन हैं. फरवरी महीने में प्रस्तुत बजट में ही लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों के लिए प्रति परिवार 6 हजार रुपयों के भुगतान की घोषणा की गयी, जिसमें से 2 हजार रुपये तो इसी वित्तीय वर्ष के अंदर यानी चालू महीने के अंत के पूर्व ही दे दिये जाने हैं. यह अगले वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट से भूतलक्षी प्रभाव से व्यय किये जाने की अनोखी मिसाल है.

अगली प्रमुख घोषणा पांच लाख रुपये तक की आय आयकर से मुक्त किये जाने की है, जिसका अर्थ है कि लगभग तीन करोड़ करदाताओं की आयकर देनदारी शून्य हो गयी, जिससे सरकारी खजाने पर कम से कम सात हजार करोड़ रुपयों का भार पड़ेगा. निश्चित रूप से इनका संबंध इन चुनावों से जोड़ा जा सकता है. भारत में प्रत्येक 100 मतदाता पर केवल सात मतदाता ही प्रत्यक्ष करदाता हैं. इसलिए इन सभी राजकोषीय उदारताओं का भार अंततः इन सात लोगों को ही वहन करना पड़ता है.

केंद्रीय कैबिनेट ने संकटग्रस्त चीनी क्षेत्र को 15 हजार करोड़ रुपये के अनुदानित ऋण उपलब्ध कराये जाने का फैसला भी किया, ताकि वे गन्ना उत्पादक किसानों की बकाया राशियों के भुगतान कर सकें. इससे सरकारी खजाने पर तकरीबन 3,400 करोड़ रुपयों का भार पड़ा. इसी तरह, परिधान क्षेत्र को कर तथा लेवी राहत के मद में लगभग 6,300 करोड़ रुपये मुहैया किये गये. विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के अनिवार्य क्रयभार को कम करने के लिए कैबिनेट ने सौर एवं पवन ऊर्जा के अलावा जल विद्युत को भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में डाल दिया. इसने जल विद्युत कंपनियों द्वारा ऋण पुनर्भुगतान अवधि को भी विस्तृत कर 18 वर्ष कर दिया, ताकि उन्हें राजकोषीय राहत मिल जाये. किफायती घरों के निर्माण में मदद के लिए जीएसटी परिषद् ने निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी. ये सभी केंद्रीय कैबिनेट से लेकर जीएसटी परिषद् और विभिन्न राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लिये गये उन निर्णयों की केवल चंद बानगियां हैं, जिन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व कर डाला गया.

इनमें से अधिकतर का अर्थ वर्तमान के लिए राजकोषीय राहत तो है, मगर इनका कुल राजकोषीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा, जो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा. वर्तमान केंद्र सरकार राजकोषीय विवेक के लिए प्रतिबद्ध है और वह इस तथ्य पर गर्व करती है कि इस वर्ष राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है. किंतु यह पूरी स्थिति नहीं दर्शाता. सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र निकायों द्वारा बैलेंस शीट से परे की ऋण जरूरतें भी खासी अधिक हैं. मिसाल के तौर पर उर्वरक सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों के बैलेंस शीटों में स्थानांतरित कर दिया गया है. राज्य सरकारों के दो वर्ष पूर्व तक के काफी बेहतर रिकॉर्ड के उलट अब वे भी विपरीत दिशा में ही अग्रसर हैं.

इस तरह राजकोषीय घाटे एवं सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण जरूरतों का योग अब जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो देश को एक कमजोर स्थिति में डालता है. यही कारण है कि कई सार्वजनिक क्षेत्र निकायों को इस वर्ष अधिक अंतरिम लाभांश देने को कहा गया, जिसके अंतर्गत हाल में रिजर्व बैंक ने ही सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये दिये हैं. यह सही वक्त है कि अब हम राष्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय मितव्ययिता का ध्यान रखते हुए राजस्व संग्रहण में व्याप्ति तथा गहराई लाने पर केंद्रित हों.

(अनुवाद : विजय नंदन)

सामान्य नहीं नीरव की गिरफ्तारी

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार
awadheshkum@gmail.com

देश को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से परे कानूनी प्रक्रिया और भारत की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए . नीरव की संपत्ति जब्त हो ही चुकी है . आज नहीं तो कल उसका प्रत्यर्पण भी होगा .

नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी भारत में प्रखर चर्चा का विषय नहीं बन पायी है. नीरव को बड़ा मुद्दा विरोधी दलों ने बनाया हुआ था. विरोधी दलों के लिए उसके पकड़े जाने की खबर राजनीतिक रूप से लाभदायक नहीं है कि उसके लिए वे वक्तव्य दें या पत्रकार वार्ता करें. करीब 13,700 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का आरोपी अगर गिरफ्तार हुआ है, तो उसके पीछे भारतीय जांच एजेंसियों का परिश्रम एवं सघन कूटनीतिक प्रयासों की ताकत है. बीते 20 मार्च को होलबोर्न मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तारी के बाद उसे वेस्टमिंस्टर न्यायालय में पेश किया गया था और भारत में आम प्रतिक्रिया यही थी कि उसे भी उसी तरह जमानत मिल जायेगी, जैसे विजय माल्या को मिल गयी थी. लेकिन नीरव की जमानत अर्जी खारिज हो गयी. ब्रिटेन जैसे देश के न्यायालय में जमानत न मिलना भी सामान्य घटना नहीं.

यह बात सही है कि मीडिया में नीरव मोदी के बारे में खबर आयी थी, जिसमें उसके घर से लेकर कारोबार तक की जानकारी थी. किंतु यह कहना गलत है कि खबर के बाद ही कार्रवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई के पास उसके लंदन में होने की जानकारी आ गयी थी और प्रत्यर्पण की अपील की जा चुकी थी. प्रत्यर्पण की अपील पर ही ब्रिटेन के गृह मंत्री ने वहां के न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी. ब्रिटिश सरकार ने पहले भगोड़े विजय माल्या और अब नीरव मोदी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की है उसके पीछे भारत की अनवरत कोशिशों को आप नकार नहीं सकते. प्रवर्तन निदेशालय का बयान था कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की मदद से उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है. नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने भी अपनी विज्ञप्ति में कहा कि उसको भारत के आग्रह पर लंदन के होलबॉर्न इलाके से गिरफ्तार किया गया है. नीरव मोदी का पासपोर्ट जनवरी 2018 में ही रद्द कर दिया गया था. अब भगोड़ों के लिए विदेशों में काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने आर्थिक अपराधी विदेशी भगोड़ा संबंधी कानून काफी कड़ा बनाया है, जिसमें देश के अलावा विदेशों की संपत्तियां भी जब्त करने का प्रावधान है. इसके बाद से भगोड़ों के लिए कठिनाइयां बढ़ गयी हैं.

नीरव मोदी मामले को सामान्यतः पंजाब नेशनल बैंक घोटाला के नाम से जाना जाता है. पीएनबी की शिकायत मिलने के बाद 31 जनवरी, 2018 को मामला दर्ज किया गया था. विदेश में भले नीरव के खिलाफ पहली सफलता मिली है, देश के अंदर जितनी कार्रवाई संभव थी हुई है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर कर चुके हैं. मुंबई की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएलएए) यानी हवाला कानून के तहत नीरव की 1,873.08 करोड़ और परिवार से जुड़ी 489.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है. निदेशालय ने मोदी की रोल्स रॉयस घोस्ट, पोर्श पनामेरा, मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 350 सीडीआई, मर्सिडीज-बेंज सीएलएस, होंडा सीआर-वी, टोयोटा इनोवा और टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहनों को जब्त किया था. न्यायालय ने इन महंगी कारों के साथ नीरव की कंपनी कैमलॉट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की 173 महंगी पेंटिंगों की नीलामी की अनुमति भी दे दी है. इनका मूल्य लगभग 57.72 करोड़ रुपये है. विशेष न्यायालय ने आयकर विभाग को भी नीरव मोदी की 68 अन्य पेंटिंग को बेचने की इजाजत दी है. आयकर विभाग का नीरव मोदी पर 95.91 करोड़ रुपये बकाया है. मुंबई से 90 किमी दूर रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित किहिम बीच पर 33 हजार वर्ग फीट में निर्मित नीरव के आलीशान बंगले को गिराया जा चुका है. भारत में नीरव और उसके परिवार तथा मामले के आरोपियों की कोई संपत्ति छोड़ी नहीं गयी है. उन सबके खाते पहले ही सील हो गये थे तथा सारे आउटलेट पर ताले जड़े जा चुके हैं. नये कानून के आने के कारण ही जांच एजेंसियों को इतना अधिकार मिल पाया है.

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या नीरव मोदी का प्रत्यर्पण हो सकेगा? विजय माल्या का मामला दो वर्ष से भारत लड़ रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्यर्पण संभव नहीं हुआ है. ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद वहां की कानूनी प्रक्रिया जटिल है, जिससे विलंब होता है. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निचले न्यायालय ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया और वहां के गृह मंत्रालय ने भी प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है. माल्या उच्च न्यायालय जा चुका है. हालांकि उसने कह दिया है कि बैंकों की राशि लौटाने के लिए वह तैयार है. प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटिश अधिकारियों को दोनों मामलों का अंतर समझाया है. नीरव और माल्या के मामले में गुणात्मक अंतर है. नीरव पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है, जबकि माल्या पर कर्ज अदायगी न करने का. नीरव बड़े बैंकिंग घोटाले का सूत्रधार है. प्रशासन और कानून को धोखा देने के उद्देश्य से ही उसने साजिश रची और एलओयू तथा अन्य फर्जी कागजातों का इस्तेमाल कर भयानक धोखाधड़ी की. इस गुणात्मक अंतर को देखते हुए यह उम्मीद करनी चाहिए कि नीरव के प्रत्यर्पण में माल्या से कम समय लगेगा. देश को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से परे कानूनी प्रक्रिया और भारत की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए. नीरव की संपत्ति जब्त हो ही चुकी है. आज नहीं तो कल उसका प्रत्यर्पण भी होगा.

आपके पत्र

न्यूनतम आय गारंटी योजना

राहुल गांधी द्वारा न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा को सत्ता पक्ष के लोग मजाक में ले रहे हैं, मगर आज नहीं तो कल, इसे सभी दलों को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा. सत्ता पक्ष पूछ रही है कि पैसा कहां से आएगा? जहां चाह वहां राह. ऐसा नहीं है कि इस तरह की योजना की बात करने वाला भारत विश्व का पहला देश है. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत व विकसित देशों में दशकों से इस तरह के सामाजिक सुरक्षा के नियम लागू हैं. कहीं इसे यूनिवर्सल बुनियादी आय तो कहीं गारंटीकृत न्यूनतम आय कहा जाता है. यही वजह है कि उन देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. किसी कामगार का अगर किसी कारण से रोजगार छूट जाता है, तो उसे दूसरे दिन से ही कुछ राशि प्रदान की जाती है. इसे लागू करना थोड़ा पेचीदा जरूर है. महज चुनावी शगूफा के रूप में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल बैठकर इस पर काम करे.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी,जमशेदपुर

लोकसभा चुनाव और चैती छठ

11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा. चुनाव की तिथियों की घोषणा करने से पहले पर्व-त्योहारों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग रखता है, लेकिन बिहार में होनेवाले पहले चरण के चुनाव में इसका ख्याल नहीं रखा गया है क्योंकि 11 अप्रैल को ही चैती छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया जाना है. बिहार में चैती छठ करने वाले परिवारों की संख्या भी अच्छी खासी है. ऐसे में पहले चरण में चार सीटों पर होने वाले चुनाव में, मतदान प्रभावित तो होगा ही. औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीटों पर मतदान के प्रतिशत में भारी कमी आ सकती है. चैती छठ में शामिल होनेवाली महिलाएं तो निर्जला उपवास में वोट देने के लिए कतार में खड़ी नहीं रह सकतीं और न ही मतदान बूथ तक पैदल ही जा सकेंगी. जहां एक ओर कहा जाता है कि आपका एक-एक वोट कीमती है, वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दिन को चुनना, कहां तक सही है.

अभिषेक मोहन, रांची

ट्रैफिक लाइट में सुधार जरूरी

रांची शहर के जेल चौक पर गलत ट्रैफिक लाइट की दिशा अंकित होने के कारण कभी भी भयानक दुर्घटना हो सकती है. कचहरी चौक की ओर से आने वाली गाड़ियां जब सीधे लालपुर की ओर जाती हैं, ठीक उसी समय लालपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों को करमटोली की ओर घूमने की हरी बत्ती जल जाती है, जबकि हरी बत्ती लाइन तालाब की ओर होनी चाहिए. ठीक उसी तरह लालपुर की ओर से आने वाली गाड़ियां जब सीधे कचहरी चौक की ओर जाती हैं, उसी समय कचहरी चौक की ओर से आने वाली गाड़ियों को लाइन तालाब की ओर घूमने की हरी बत्ती जल जाती है, जबकि हरी बत्ती करमटोली की ओर होनी चाहिए. अतः ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें और ट्रैफिक नियमों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था ठीक करने का कष्ट करें.

अखिलेश प्रसाद वर्मा, कचहरी चौक, रांची

बोधि वृक्ष

वीर पुरुष

वीर पुरुष अपने कदमों के निशां बनाते हैं और जो व्यक्ति असंभव काम को भी पूरा कर लेता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपुरुष बनता है. लेकिन, ऐसा वही कर सकता है, जिसको अपने जीवन से मोह हो, इसलिए हमें अपने जीवन से प्रेम करना सीखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल माना जायेगा. ध्यान रखना चाहिए कि- दस्तक भविष्य के द्वार पर तुम्हें ही देना है, अपने कदमों की आहट से इतिहास नया बनाना है. हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने किसी दूसरे का अनुकरण नहीं किया, अपितु अपना मार्ग स्वयं बनाया. इसलिए मैं बच्चों को परामर्श देता हूं कि- बड़ों का अनुकरण नहीं, उनका नेतृत्व करो. अनुकरण करनेवाला व्यक्ति कभी इतिहास पुरुष नहीं बनता. बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि जो व्यक्ति, जीवन में शीर्ष स्थान पाना चाहता है, उसे अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है. शायद इसलिए कहा गया है कि महापुरुष अपने कदमों के निशां स्वयं बनाते हैं. इसलिए हर शख्स को अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है. नदी जब हिमालय से चलती है, तो वह स्वयं अपना मार्ग बनाती चलती है. इसलिए मनुष्य को अपना कर्म और दायित्व स्वयं निर्धारित करना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए. यही जीने की कला है. हमें जीवन का संरक्षण और विकास खुद ही करना होगा. आज इस देश को ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, जो अपने कार्यों, विचारों और संस्कारों से समाज का नेतृत्व कर सकें. ऐसे व्यक्ति समाज में तभी पैदा होंगे, जब शुरू से हम अपने बच्चों को जीवन से प्यार करना सिखायें. जीवन से हताश, निराश और दुखी व्यक्ति कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं करता. हमेशा प्रसन्न रहनेवाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है. जो लोग हिमालय के शिखर पर चढ़ते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं, चांद-तारों की यात्रा करते हैं, वे लोग भी मनुष्य ही हैं. लेकिन, वे अपने जीवन से प्रेम करते हैं. तभी वे इतने बड़े-बड़े काम पूरा करते हैं. आज समाज में वैसे ही लोगों की आवश्यकता है, जो इतिहास बना सके.

आचार्य सुदर्शन

कुछ अलग

करत-करत अभ्यास से

संतोष उत्सुक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
santoshutsuk@gmail.com

किसी भी काम को करने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, काम निबटाने के तो सौ से ज्यादा भी हो सकते हैं. काम करने के सही और गलत रास्ते हो सकते हैं. काम अच्छा है या बुरा यह सोच से जुड़ा अलग विषय है.

राजनीतिक कुर्ता-पाजामा पहननेवालों के दिन हमेशा रंगीन रहते हैं. अक्सर सफेद पाजामा और ब्रांडेड सफेद जूते पहननेवाले समाजसेवी बताते हैं कि उनका काम भी बहुत मेहनत का है, उन्हें ऐसी ड्रेस के चार जोड़े रखने पड़ते हैं. राजनीतिक प्रचार का खाना बांटने के लिए अक्सर गंदे लोगों के बीच जाना पड़ता है कि वापिस आकर गाड़ी भी धुलवानी पड़ती है और ज्यादा खुशबूदार साबुन से नहाना पड़ता है. इतने झूठे आश्वासन देने पड़ते हैं कि जीभ भी अकड़ने लगती है.

पुराने जमाने में हमारे शहर के विधायक के पास जब आम वोटर काम के लिए जाता था, तो झट से लैंडलाइन पर नंबर घुमाकर कह देते थे- इनको भेज रहा हूं देख लेना. वास्तव में वे अपने परिवारवालों को सरकारी नौकरियां दिलाने में बहुत मेहनत करते थे. निन्यानवे समस्याएं इकट्ठी होकर सरकारी कुर्सियों के पास पहुंच ही गयीं, तो उनके जवाबों का गुलदस्ता कुछ ऐसा रहा- कंप्यूटर खराब था, शिकायत की जानकारी हमें नहीं है, समाधान शीघ्र कर दिया जायेगा, मामला कभी हमारे संज्ञान में आया ही नहीं, विशेषज्ञों की टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और लोकप्रिय सरकार के समक्ष रखी जायेगी. कोई बात नहीं, प्रस्ताव दोबारा भेजें, कुछ-न-कुछ अवश्य करेंगे. किसी ने बताया ही नहीं, हम तो चौबीस घंटे में समाधान कर देते और कोई विवाद भी न होने देते. हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं, जल्द फैसला करेंगे. पिछली सरकार के गलत फैसले पलटकर सही निर्णय लिये जायेंगे, जुर्माना वसूला जायेगा. जहां सीसीटीवी नहीं लगे, सख्त जांच करवायी जायेगी कि क्यों नहीं लगे. निर्देश न माननेवालों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा.

एक दिन अखबार ने छापा कि फलां धर्मशाला की चाभी नगरपालिका के पास है, फिर भी कोई बंदा कई दिनों से वहां रह रहा है, तो सरकारी अफसर ने बयान दिया- अभी किसी काम से बाहर आना पड़ा है, इस बारे में सही जानकारी नहीं दे सकता. लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया जायेगा. वहां के नेता ने काम करते हुए कहा कि पिछले दस साल से यह मुद्दा संसद में उठाया है, सरकार के पास और भी मुद्दे हैं, शायद थोड़ा समय और लग जाये. समस्याओं की खबर छपी, नोटिस जारी किये गये थे, फिर जारी किये जा रहे हैं, भविष्य में भी जारी किये जायेंगे, किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जायेगा, पूरी छानबीन की जायेगी. यह कुछ ऐसा रहेगा कि प्रशासन सही सवाल करेगा और प्रशासन उचित जवाब देगा.

कुछ दिन बाद, वही सधे हुए सवाल, फिर वही जवाब. काम करनेवालों की परीक्षा खत्म, सब अव्वल नंबरों में पास हो जायेंगे. करत-करत अभ्यास से सब ठीक हो जाता है.

देश दुनिया से

सीरिया में कुर्दों का आगमन

ओट्टोमन शासन (वर्तमान में तुर्की) के दौरान वर्ष 1516 और 1922 के बीच सीरिया में कुर्दों का आगमन हुआ था. कुर्मान्जी भाषी कुर्दीश तब एनातोलिया से उत्तरी सीरिया में निर्वासित होकर आये थे. वर्ष 1920 में सेवरेस संधि के जरिये कुर्दों के निवास स्थान वाले क्षेत्र (वर्तमान में सीरिया) को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए नियम बने. हालांकि, मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा प्रारंभ किये गये सुधारों ने सब कुछ बदल दिया. इस अवधि में तुर्की ने अपने क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार किया और सवेरेस की संधि ने लौसाने की संधि की राह बनायी, जिस पर 1923 में हस्ताक्षर किया गया था. इस संधि में कुर्दीश राज्य का कोई जिक्र नहीं था. आज सीरियाई कुर्द 15 प्रतिशत सीरियाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं. आज इन्होंने उत्तरी और पूर्वी सीरिया में अपना अर्ध-स्वायत्त शासन स्थापित कर लिया है. ये सीरिया के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. पिछले आठ वर्षों में कुर्द सीरियाई सेना के साथ सीधे टकराव से बचते रहे हैं. वास्तव में दायेश से लड़ने और सभी क्षेत्रों से उसकी उपस्थिति को मिटाने में इन्होंने सीरियाई सरकार की मदद की है. आज दुनिया और सीरिया की सरकार दायेश पर विजय का जश्न मना रही है और इस उपलब्धि का श्रेय इन वीर कुर्दों को देती है.

वाल्स्टाने वाकेड

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो . लिपि रोमन भी हो सकती है